न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 74/2020
GCMS No-2020/00338

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		प्रकाशचन्द पुत्र खेमचन्द जाति सिन्धी (मालिक) मैसर्स श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमरेपुर (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित
2. अप्रार्थी उपस्थित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक : 9/03/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थी ने दौराने अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमरेपुर (पाली) पर पहूँचा, वहॉ फर्म के मालिक प्रकाशचन्द की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की आमजन एक कार्टुन में पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) के लगभग 55 मुल पैकेट रखे हुए है, प्रत्येक पैकेट में 40 पाउच है। जिसमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात 16 मुल पैकेट बेगम शाही पान मसाला को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा को चार भागों में विभक्त कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1012 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./913/एक्ट/2019/997 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना बेगम पान मसाला को Unsafe & Misbrand का होना जाहिर किया। इसके पश्चात अप्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर पुनः रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे से जांच करवाई जिसमें उक्त नमूने को Sub-Standard माना गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) का विनिर्माण/विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि खाद्य पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) का वह बेचाण कर रहा था, जो sub-standard पाया गया है, जिसे वह स्वीकार करता है तथा भविष्य में वह इस तरह का कृत्य नहीं दोहराएगा। अतः कम से कम जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2019 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म श्रीराम डिस्ट्रब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर पाली पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2019 को पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1012 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल. एस./913/एक्ट/2019/997 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1012 को "The sample of Pan Masala (Begum brand) bearing Code No. and Sr. No. R-1012 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Unsafe food under section 3(1)(zz)(iii),3(1)(zz)(v) and 3(1)(zz)(xi) of Food Safety and Standards Act-2006 due to addition of Megnesium Carbonate and Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standard Act-2006." का माना है। इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा पुनः अपने स्तर पर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुणे में उक्त नमूने की जांच करवाई, जिसमें "Opinion-(1) I am of the opinion that, the sample Pan Masala (Brand-Begum) bearing No. R-1012, does not conform to the standards as per Regulation 2.11.5 of the Food Safety and Standards (Food Product Standards & Food Additives), Regulations 2011 and further amendments, as per tests performed. Hence Sub-standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standard Act 2006." माना है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) का विक्रय किया गया, जिसका नमूना जांच में Sub-Standard पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard पान मसाला (ब्राण्ड बेगम) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 9/3/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली